न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/51/2025 रजू दिनांकः 25.04.2025 रजि0 न0 2025/89

अपीलार्थीः—

श्री अजय सक्सेना, निवासी फ्लेट नं0 27 (GF) श्रीनाथ कान्हा रेजीडेन्सी, जगतपुरा, जयपुर—302017, जिला जयपुर (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 13.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा—6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 28.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/833 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 28.03.2025 (ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज दिनांक 07.04.2025) के परिपेक्ष्य में किए गए विनिश्चय पत्र सं0 4362533894 दिनांक 08.04.2025 पर असंतोष व्यक्त कर सूचना चाही गई है। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2012 में ओमवे बिल्डएस्टेट प्रा.लि. पुराना दिल्ली रोड़, अलवर में बुक कराये गये फ्लेट के संबंध में समय—समय पर किए गए अनुरोधस्वरूप ई—मेल्स के माध्यम से विविध जानकारी चाही गई थी जो कि प्रत्यक्षतः इस विभाग से संबंधित नहीं है साथ ही कोई विशिष्टीकृत आदेश/पत्र/परिपत्र आदि का स्पष्ट अंकन किए जाने के स्थान पर ई—मेल्स पर कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किए जा रहे है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ), धारा 7(9) एवं धारा 8(1)(जे) के आलोक में विधिअनुरूप आवेदन नहीं होने के कारण, उक्तानुसार पत्र संख्या 4362533894 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में पत्र संख्या 4362533894 दिनांक 08.04.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/834 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)